सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गाजीपुर के भार पर उपलब्ध निष्प्रयोज्य राजकीय सम्पत्ति जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण(कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस आदि) फर्नीचर, मेस पात्र, लोहा सम्बन्धी कण्डम वस्तुओं की सार्वजनिक नीलामी दिनांक:21.11.2023 को पुलिस लाइन परिसर गाजीपुर में प्रातः 11.00 बजे से होगी।

उक्त नीलामी की प्रक्रिया में प्रतिभाग किये जाने हेतु निम्न शर्तें हैं: -

1. नीलामी की बोली बोलने वाले इच्छुक कबाड़ी/ठेकेदारों को रू0 20000/- जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। यह धनराशि नीलामी समाप्ति पर वापिस हो जायेगी।
2. जिनके पक्ष में नीलामी छूटेगी यदि उसके द्वारा तुरन्त भुगतान नहीं किया जाता है तो जमानत राशि जब्त कर दी जायेगी।
3. नीलामी में प्रत्येक लॉट के लिए अलग-अलग बोली लगाई जायेगी एवं सामान जैसा है जहां के आधार पर उठाना होगा।
4. नीलामी के अंतिम बोली पर जीएसटी कर अलग से नियमानुसार देय होगा।
5. नीलामी के समय या अन्य किसी सरकारी कार्य के कारण व्यवधान होने पर पुलिस अधीक्षक को नीलामी की तिथि रद्द करने का अधिकार होगा।
6. पुलिस अधीक्षक को किसी भी बोली को निरस्त/ अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
7. किसी विवाद की स्थिति में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अन्तिम होगा। जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नही की जा सकेगी।
8. सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में नीलामी छोड़ दी जायेगी तथा सामान तुरन्त उठाना होगा।
9. नीलामी की बोली की धनराशी बोली समाप्त होने पर कर सहित तुरन्त अदा होगी।

अत: उपरोक्त शर्तों के साथ निलामी में भाग लेने के इच्छुक कबाड़ी / ठेकदार समय से पुलिस लाइन जी0 पी0 स्टोर में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त एवं निलामी में प्रतिभाग कर सकते हैं।

पत्रांकः न-37/2023

दिनांक:21../11/2023

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर

प्रतिलिपि:-

1. समस्त पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं सेनानायक पीएसी उ0प्र0 को सादर सूचनार्थं प्रेषित।
2. जिला सूचना अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रतिसार निरीक्षक लाइन्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रधान लिपिक को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
5.आंकिक/ सीसीटीएनएस सेल / पुलिस कार्यालय / कैश कार्यालय पुलिस लाइन, जनपद गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रभारी मीडिया सेल को इस निर्देश के साथ की उक्त निलामी सूचना को www.uppolice.gov.in वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. सम्पादक .... दैनिक समाचार पत्र गाजीपुर को इस आशय से कि उक्त का प्रकाशन सरकारी दर पर अतिशीघ्र कराकर उसकी एक प्रति बिल सहित एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
8. रेडियों निरीक्षक गाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।